

ग्रामीण विकास के प्राथमिकता क्षेत्र में क्षेत्रीय
ग्रामीण बैंकों की भूमिका (इलाहाबाद यू०पी० ग्रामीण बैंक के विशेष सन्दर्भ में)

अतुल कुमार द्विवेदी

शोध छात्र महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना (म०प्र०)

डॉ० अभिलाश कुमार श्रीवास्तव

प्राचार्य अर्तर्य पी०जी० कालेज, अरर्य (बाँदा) ३०प्र०

सारांश स्वतंत्रता के पश्चात् यह अनुभव किया गया कि ग्रामीणों की सबसे प्रमुख समस्या पर्याप्त मात्रा में साख की अनुपलब्धता है। ग्रामीण साख की प्रकृति एवं समस्या के स्वरूप के अध्ययन हेतु सन् 1952 में अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण कमेटी का गठन किया गया, इस समिति के अध्यक्ष श्री गोरवाला थे। सन् 1975 में आपातकाल की घोषणा के पश्चात् क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गयी। इन बैंकों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के कमज़ोर वर्गों एवं कृषि साख की सभी प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करना था।

शब्दकोश : पश्चात्, ग्रामीण अर्थव्यवस्था

प्रस्तावना

भारतीय अर्थव्यवस्था मूलतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा कृषि से अपनी जीविका अर्जित करता है अर्थात् कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का केन्द्र बिन्दु व भारतीय अर्थव्यवस्था के जीवन की धुरी है। देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग 52 प्रतिशत भाग कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित क्षेत्रों से ही अपना जीविकोपार्जन कर रहा है। कृषि पेशे में लगे कृषक, कृषि श्रमिक, ग्रामीण दस्तकार, भूमिहीन कृषि श्रमिकों को अपने उत्पादन कार्यों के लिए पूँजी की आवश्यकता हमेशा से रही है।

स्वतंत्रता के पश्चात् यह अनुभव किया गया कि ग्रामीणों की सबसे प्रमुख समस्या पर्याप्त मात्रा में साख की

अनुपलब्धता है। ग्रामीण साख की प्रकृति एवं समस्या के स्वरूप के अध्ययन हेतु सन् 1952 में अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण कमेटी का गठन किया गया, इस समिति के अध्यक्ष श्री गोरवाला थे। सन् 1954 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति का यह विचार था कि ग्रामीण साख की पूर्ति में सहकारी समितियों की प्रमुख भूमिका होनी चाहिए, लेकिन योजनाकाल के शुरूआत में कुल ग्रामीण साख का केवल 3 प्रतिशत अंश सहकारी साख समितियों द्वारा प्रदान किया गया। अतः ग्रामीण साख की जरूरतों के परीक्षण हेतु सन् 1967 में रिजर्व बैंक ने अखिल भारतीय ग्रामीण साख निरीक्षण समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष बी० वैंकेट पैया थे। वैंकेट पैया समिति का यह विचार था कि केवल सहकारी साख

समितियों के माध्यम से ग्रामीण साख की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति सम्भव नहीं है। ग्रामीण साख में गैर-संस्थागत स्त्रोतों का महत्व कम नहीं किया जा सकता। इस कारण समिति ने यह सिफारिश की थी कि ग्रामीण साख की पूर्ति की प्रणाली में परिवर्तन किया जाना चाहिए।

सन् 1975 में आपातकाल की घोषणा के पश्चात् क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गयी। इन बैंकों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के कमज़ोर वर्गों एवं कृषि साख की सभी प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करना था।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 के 21 वें अनुच्छेद "ए") के उप अनुच्छेद (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा एक गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.03.2010 को जारी किया गया, जिसके अनुसार उत्तरप्रदेश में कार्यरत एवं इलाहाबाद बैंक द्वारा प्रायोजित दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्रमशः लखनऊ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सीतापुर एवं त्रिवेणी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उरई को समामेलित कर एक नये ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई जिसका नाम "इलाहाबाद यू पी ग्रामीण बैंक" है।

इलाहाबाद यू पी ग्रामीण बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की द्वितीय अनुसूची में शामिल है एवं बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 5 (ब) के अधीन सभी प्रकार के बैंकिंग लेनदेन करने हेतु अधिकृत है। इस बैंक का प्रधान कार्यालय उत्तरप्रदेश के बाँदा जनपद में स्थित है। समामेलन के परिणाम स्वरूप गठित इलाहाबाद यू पी ग्रामीण बैंक का कार्यक्षेत्र उत्तरप्रदेश के 11 जनपदों में क्रमशः सीतापुर, बहराइच, लखीमपुर, श्रावस्ती, बाँदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, जालौन, मिर्जापुर व सोनभद्र है। इलाहाबाद यू पी ग्रामीण बैंक उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद बैंक का एक मात्र प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है।

अध्ययन क्षेत्र

वर्तमान अध्ययन में प्राथमिकता क्षेत्र से सम्बन्धित परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए उत्तर प्रदेश में कार्यरत इलाहाबाद यू पी ग्रामीण बैंक के समस्त 11 जनपदों का चुनाव किया गया। इन 11 जनपदों में बैंक की कुल 650 शाखायें कार्य कर रही हैं, जिनमें से 29 शाखायें ताहरी क्षेत्रों में, 70 अर्द्धशहरी क्षेत्रों में एवं 551 शाखायें ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हैं।

अध्ययन के लिए वित्तीय वर्ष 2012–13, 2013–14 व 2014–15 का समय निर्धारित किया गया है।

परीक्षण की जाने वाली परिकल्पना

इलाहाबाद यू पी ग्रामीण बैंक द्वारा ग्रामीण विकास के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत पर्याप्त ऋण प्रदान किया गया है।

वित्त का आधार व प्रकृति

अंश पूँजी— बैंक की प्राधिकृत/जारी/प्रदत्त/चुकता अंश पूँजी ₹600.00 लाख है, जो 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार, 35 प्रतिशत प्रवर्तक बैंक (इलाहाबाद बैंक) एवं 15 प्रतिशत उत्तरप्रदेश सरकार (राज्य सरकार) द्वारा प्रदत्त है।

- i. **कुल व्यवसाय—** इलाहाबाद यू पी ग्रामीण बैंक का कुल व्यवसाय (जमा तथा ऋण) सन् 2011–12 में ₹9292.99 करोड़ था, जो वर्ष 2012–13 में गतवर्ष से 16.35 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कर ₹10812.41 करोड़ हो गया तथा वर्ष 2013–14 में 6.69 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कर ₹11535.99 करोड़ हो गया व वर्ष 2014–15 में 14.23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कर ₹13177.01 करोड़ के रिकार्ड स्तर तक पहुँच गया।

तालिका संख्या –01 (करोड़ में)

वर्ष	कुल व्यवसाय	जमा	ऋण
2011–12	9292.99	5773.71	3519.28
2012–13	10812.41	6558.70	4253.71
2013–14	11535.99	6437.08	5098.91
2014–15	13177.01	7345.59	5831.42

स्त्रोत— वार्षिक प्रतिवेदन इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक।

ऋण

बैंक ने वर्ष 2011–12 में ₹3519.28 करोड़, वर्ष 2012–13 में 20.87 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹4253.71 करोड़, वर्ष 2013–14 में गतवर्ष से 19.87 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹5098.91 करोड़ व वर्ष 2014–15 में 14.37 प्रतिशत वृद्धि

के साथ ₹5831.42 करोड़ का ऋण प्रदान किया अर्थात् ऋण में प्रत्येक वर्ष वृद्धि दर्ज की गई।

ii. अर्जित आय

बैंक द्वारा ऋण खातो, निवेशों तथा अन्य स्त्रोतों से अर्जित सकल आय निम्नवत् है —:

तालिका संख्या— 2 (करोड़ में)

वर्ष	ऋणों पर ब्याज	निवेश	अन्य आय	कुल आय
2012–13	428.21	215.73	33.05	676.99
2013–14	488.49	213.83	15.20	717.52
2014–15	685.68	318.02	19.35	1023.05

स्त्रोत— वार्षिक प्रतिवेदन इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक।

- बैंक ने वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान कुल ₹676.99 करोड़ की आय अर्जित किया, जिसमें से सबसे अधिक आय ₹428.71 करोड़ ऋणों पर ब्याज के रूप में, ₹275.72 करोड़ निवेश के रूप में तथा ₹33.05 करोड़ अन्य आय के रूप में अर्जित किया।
- वित्तीय वर्ष 2013–14 में कुल ₹717.52 करोड़ की आय अर्जित किया, जिसमें से ₹488.49 करोड़ ऋणों पर ब्याज के रूप में, ₹213.83 करोड़ निवेश से एवं ₹15.20 करोड़ अन्य आय के रूप में अर्जित किया।

➤ वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल ₹1023.05 करोड़ की आय अर्जित किया, जिसमें से ₹685.68 करोड़ ऋणों पर ब्याज के रूप में, ₹318.02 करोड़ निवेश से एवं ₹19.35 करोड़ अन्य आय के रूप में अर्जित किया।

iii. व्यय

बैंक द्वारा जमाकर्ताओं को ब्याज का भुगतान, पुनर्वित्त पर भुगतान किये गये ब्याज एवं संचालन पर व्यय निम्नवत् हैं—:

तालिका संख्या—3 (करोड़ में)

वर्ष	जमा पर प्रदत्त ब्याज	उधार पर प्रदत्त ब्याज	अन्य व्यय एवं प्रावधान	कर्मचारियों को भुगतान	कुल व्यय
2012–13	241.01	103.26	74.52	193.55	612.34
2013–14	275.18	144.78	133.69	141.93	695.58
2014–15	314.99	339.39	163.85	153.76	971.99

स्त्रोत— वार्षिक प्रतिवेदन इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक।

- बैंक ने वित्तीय वर्ष 2012–13 में कुल ₹ 612.34 करोड़ का व्यय किया गया, जिसमें से ₹ 241.01 करोड़ जमा पर प्रदत्त ब्याज के रूप में ₹ 103.26 करोड़ उधार पर प्रदत्त ब्याज पर, ₹ 74.52 करोड़ अन्य व्यय एवं प्रावधानों पर तथा ₹ 193.55 करोड़ कर्मचारियों को भुगतान के रूप में व्यय किया।
- वित्तीय वर्ष 2013–14 में बैंक द्वारा कुल ₹ 695.58 करोड़ का व्यय किया गया, जिसमें से ₹ 275.18 करोड़ जमा पर प्रदत्त ब्याज, ₹ 144.78 करोड़ उधार पर प्रदत्त ब्याज, ₹ 133.69 करोड़ अन्य व्यय एवं प्रावधान व ₹ 141.93 करोड़ कर्मचारियों को भुगतान के रूप में व्यय किया।
- वित्तीय वर्ष 2014–15 में बैंक द्वारा कुल ₹ 971.99 करोड़ का व्यय किया गया, जिसमें से ₹ 314.99 करोड़ जमा पर प्रदत्त ब्याज, ₹ 339.39 करोड़ उधार पर प्रदत्त ब्याज, ₹ 163.85 करोड़ अन्य व्यय एवं प्रावधान व ₹ 153.76 करोड़ कर्मचारियों को भुगतान के रूप में व्यय किया।

iv. कार्य परिणाम

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान ₹ 64.64 करोड़ का शुद्ध लाभ, वित्तीय वर्ष 2013–14 में ₹ 21.94 करोड़ का शुद्ध लाभ व वित्तीय वर्ष 2014–15 में ₹ 51.06 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया।

v. आयकर

इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक ने वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान कुल ₹ 22.82 करोड़ एवं वित्तीय वर्ष 2013–14 में ₹ 5.56 करोड़ व 2014–15 के दौरान ₹ 22.81 करोड़ रूपये का आयकर का भुगतान किया।

vi. योजनाएँ

इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में नो फ्रिल बचत खाता औवर ड्राफ्ट, संयुक्त देयता समूह, वित्तीय समावेशन, स्वयं सहायता समूह, सोलर होम लाइट ऋण योजना, प्रधानमंत्री जन–धन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, साहूकार ऋण मुक्त योजना, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, जनरल क्रेडिट कार्ड एवं स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड आदि योजनाएँ संचालित हैं। जिसमें से प्राथमिकता क्षेत्र के लिए संचालित कुछ मुख्य योजनाएँ निम्नवत् हैं—

अ) जनरल क्रेडिट कार्ड

“अचानक खर्च से न घबरायें, जनरल क्रेडिट कार्ड अपनायें”

बैंक द्वारा संचालित यह योजना बिना किसी प्रतिभूति के ऋण प्रदान करती है परन्तु यह सुविधा केवल उन्हीं ग्राहकों को प्राप्त होती है, जिसने किसी भी योजना में ऋण न प्राप्त किया हो। इस योजना में ₹ 25000 तक का ऋण प्रदान किया जाता है जो 3 वर्षों तक वैध होता है।

ब) स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना—

“मेहनत करें लगन सें, पूँजी पायें बैंक से, धन कमायें खुशी से, आगे बढ़ें शान से।”

स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित की गई है। बैंक द्वारा इस योजना के अन्तर्गत लघु/कुटीर उद्योग, फुटकर एवं सेवा व्यवसाय के लिए कम व्याज दर में ऋण उपलब्ध कराया जाता है। प्रत्येक लाभार्थी को

क्रेडिट कार्ड व पासबुक उपलब्ध कराने के साथ—साथ बीमा सुरक्षा का लाभ भी प्राप्त होता है।

स) साहूकार ऋण मुक्ति योजना—:

“बैंक से नाता जोड़ो, साहूकारों से नाता तोड़ो”

साहूकार ऋण मुक्ति योजना, ग्रामीण क्षेत्र में महाजनों के ऋणों से ग्रामीणों को मुक्ति दिलाने के लिए इलाहाबाद यू. पी. ग्रामीण बैंक द्वारा संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत बैंक से ऋण पाने के लिए, साहूकार से लिए गए ऋण का विवरण प्रस्तुत करना पड़ता है, जिसके आधार पर बैंक द्वारा साहूकार को सीधे ऋण का भुगतान कर दिया जाता है। इस ऋण पर बैंक द्वारा महाजनी ऋण से बहुत कम व्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाता है।

द) किसान क्रेडिट योजना

“हर किसान का यही एक सपना, हरा भरा खेत हो अपना”

किसान क्रेडिट कार्ड योजना करीब डेढ़ दशक पुरानी योजना है। इस योजना को पिछली एनडीए सरकार ने लागू किया था।

इसके तहत सरकार किसानों को सस्ता फसल कर्ज उपलब्ध कराती है। इस योजना के तहत किसानों को ₹3 लाख तक का ऋण 7 फीसदी की सामान्य व्याज दर पर मिलता है। इसमें सरकार की ओर से व्याज दरों पर 4 फीसदी की सब्सिडी दी जाती है। अगर किसान समय से ऋण लौटा देता है तो उसे ऋण सिर्फ 3 फीसदी की व्याज दर पर ही मिलता है।

य) संयुक्त देयता समूह—:

“संयुक्त देयता समूह अपनाये, भूमिहीन/बटाईदार कृषक भी बैंक ऋण पायें”

संयुक्त देयता समूह लद्यु/सीमान्त काश्तकार, मौखिक पट्टेदार व बटाईदार कृषकों आदि के लिए संचालित योजना है। इस योजना के अन्तर्गत एक गाँव/एक क्षेत्र/पडोस के ही 4 से 10 व्यक्ति जो एक दूसरे से भली-भौति परिचित हो, आपसी गारण्टी के समक्ष अकेले या समूह व्यवस्था के माध्यम से बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना में एक परिवार का एक ही सदस्य संयुक्त देयता समूह का सदस्य हो सकता है।

बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण —: तालिका संख्या—4

(करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष		
	2012–13	2013–14	2014–15
1. प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत ऋण—			
क) कृषि ऋण	2842.71	3470.09	3550.51
ख) अन्य प्रा० क्षेत्र ऋण	479.00	524.43	539.83
2. गैर प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत ऋण	932.00	1104.39	1741.08
ऋण (सकल)	4253.71	5098.91	5831.42

स्रोत— वार्षिक प्रतिवेदन इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक।

- बैंक ने वित्तीय वर्ष 2012–13 में कुल ₹4253.71 करोड़ का ऋण प्रदान किया, जिसमें से प्राथमिकता क्षेत्र में ₹3321.71 करोड़ (₹2842.71 करोड़ कृषि क्षेत्र तथा ₹479.00 करोड़ अन्य

प्रा० क्षेत्र में) तथा ₹932.00 करोड़ का ऋण गैर-प्राथमिकता क्षेत्र को प्रदान किया है।

- वित्तीय वर्ष 2013–14 में कुल ₹5098.91 करोड़ का ऋण प्रदान किया गया, जिसमें से प्राथमिकता क्षेत्र को ₹3994.52 करोड़

(कृषि क्षेत्र में ₹3470.09 करोड़ एवं ₹524.43 करोड़ अन्य प्राथमिकता क्षेत्र में) एवं गैर-प्राथमिकता क्षेत्र को ₹1104.39 करोड़ का ऋण प्रदान किया गया।

- वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल ₹5831.42 करोड़ का ऋण वितरित किया गया, जिसमें से प्राथमिकता क्षेत्र को ₹4090.34

करोड़ (कृषि क्षेत्र में ₹3550.51 तथा अन्य प्राथमिक क्षेत्र में ₹539.83 करोड़) तथा गैर-प्राथमिकता क्षेत्र में ₹1741.08 करोड़ का ऋण प्रदान किया गया।

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण –: तालिका संख्या—5 (करोड़ में)

वर्ष	प्रदत्त ऋण
2012–13	3321.71
2013–14	3994.52
2014–15	4090.34

स्रोत—वार्षिक प्रतिवेदन इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक।

- बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 में ₹3321.71 करोड़ का प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण वितरित किया गया।
- वर्ष 2013–14 में बैंक द्वारा ₹3994.52 करोड़ का प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण वितरित किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल ₹4090.34 करोड़ का प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण वितरित किया गया।

अतः बैंक द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वितरित किए गये प्राथमिकता क्षेत्र ऋण में वृद्धि दर्ज की गई।

परिकल्पना का सत्यापन

तालिका संख्या—5 प्रदर्शित करती है कि इलाहाबाद यू.पी. ग्रामीण बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 में बॉटा गया प्राथमिकता क्षेत्र ऋण ₹3321.71 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में ₹3994.52 करोड़ का प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रदान किया गया जो गत वर्ष की तुलना में ₹672.81 करोड़ अधिक है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में बैंक द्वारा कुल ₹4090.34 करोड़ का प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रदान किया गया जो गत वर्ष से ₹95.82 करोड़ अधिक है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि इलाहाबाद यू.पी. ग्रामीण बैंक द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र में प्रतिवर्ष गतवर्ष से वृद्धि के साथ

पर्याप्त ऋण प्रदान किया गया है, अतः परिकल्पना सत्य साबित होती है।

निष्कर्ष

उपर्युक्त शोध अध्ययन से निम्नवत् निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं—

1. बैंक की प्राधिकृत/जारी/प्रदत्त/चुकता अंशपैंजी ₹600.00 लाख है जो 50:35:15 के आनुपातिक भाग में क्रमशः केन्द्र सरकार, प्रवर्तक बैंक (इलाहाबाद बैंक) एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त है।
2. बैंक का कुल व्यवसाय (जमा एवं ऋण) सन् 2011–12 में ₹9292.99 करोड़, 2012–13 में ₹10812.41 करोड़, 2013–14 में ₹11535.99 करोड़ व वर्ष 2014–15 में ₹13177.01 करोड़ था अर्थात् बैंक के व्यवसाय में प्रति वर्ष वृद्धि दर्ज की गई।
3. बैंक की अर्जित आय वित्तीय वर्ष 2012–13 में ₹679.99 करोड़, वर्ष 2013–14 में ₹717.52 करोड़, वर्ष 2014–15 में ₹1023.05 करोड़ थी अर्थात् बैंक द्वारा अर्जित आय में प्रतिवर्ष वृद्धि दर्ज की गई।
4. बैंक द्वारा अर्जित आय में से ऋणों पर प्राप्त ब्याज वित्तीय

वर्ष 2012–13 में ₹428.21 करोड, वर्ष 2013–14 में ₹488.49 करोड व वर्ष 2014–15 में ₹685.68 करोड था अर्थात् ऋणों पर प्राप्त व्याज में प्रति वर्ष वृद्धि दर्ज की गई।

5. बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 में ₹64.64 करोड, वर्ष 2013–14 में ₹21.94 करोड व वर्ष 2014–15 में ₹51.06 करोड का शुद्ध लाभ अर्जित किया गया।
6. बैंक द्वारा वर्ष 2012–13 में ₹22.82 करोड, वर्ष 2013–14 में ₹5.56 करोड एवं वर्ष 2014–15 में ₹22.81 करोड का आयकर भुगतान किया गया।
7. बैंक द्वारा वर्ष 2012–13 में ₹4253.71 करोड, वर्ष 2013–14 में ₹5098.91 करोड व वर्ष 2014–15 में कुल ₹5831.42 करोड का ऋण प्रदान किया गया।
8. बैंक द्वारा वर्ष 2012–13 में ₹3321.71 करोड, वर्ष 2013–14 में ₹3994.52 करोड व ₹4090.34 करोड का ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत प्रदान किया गया।
9. बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 में ₹2842.71 करोड, वित्तीय वर्ष 2013–14 में ₹3470.09 करोड व वित्तीय वर्ष 2014–15 में ₹3550.51 करोड का कृषि ऋण प्रदान किया गया।
10. बैंक द्वारा वर्ष 2012–13 में ₹932.00 करोड, वर्ष 2013–14 में ₹1104.39 करोड तथा ₹1741.08 करोड का ऋण, गैर-प्राथमिकता क्षेत्र को प्रदान किया गया।

समस्यायें

शेधगम्य आधार पर यह पाया गया कि इलाहाबाद यू पी ग्रामीण बैंक द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र सम्बन्धी ऋण प्राप्त करने में ग्रामीणों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र की अधिकतर आबादी अशिक्षित है, जिसके फलस्वरूप ऋण प्राप्त करने सम्बन्धी दस्तावेजों का पूर्ण करवाने में इतना अधिक समय लग जाता है जिससे कि उन्हें समय पर ऋण प्राप्त नहीं हो पाता है और वे महाजनों से ऊँची व्याज दरों पर ऋण लेने के लिए विवश हो जाते हैं।

सुझाव

इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण प्रदान करने सम्बन्धी दस्तावेजी प्रक्रिया को सरल बनाया जाना

चाहिए तथा समय पर ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि ग्रामीण महाजनों एवं साहूकारों से ऋण लेने के लिए विवश न हों।

सन्दर्भ सूची

- भारतीय बैंकिंग प्रणाली, साहित्य भवन, आगरा :डॉ०वी०सी० सिन्हा एवं डॉ०पु पा सिन्हा
- भारतीय अर्थव्यवस्था, किताब महल, आगरा :डॉ० बद्री विशाल त्रिपाठी
- ग्रामीण अर्थशास्त्र, प्रिंट वैल पब्लिसर्स, जयपुर :पी० मिश्रा
- योजना, नई दिल्ली
- कुरुक्षेत्र, नई दिल्ली
- मुद्रा एवं बैंकिंग, साहित्य भवन, आगरा:डॉ० जी०सी सिंघई
- वार्षिक प्रतिवेदन इलाहाबाद यू पी ग्रामीण बैंक